कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा–प्रथम), मध्य प्रदेश
ऑडिट भवन, झांसी रोड, ग्वालियर–474002

सं./प्रशासन/हिंदी कक्ष/त्रै. बैठक/कार्यवृत्त/992-993 दिनांक: 30.11.2021

विषयः–राजभाषा कार्यान्वयन समिति की जुलाई से सितम्बर 2021 की त्रैमासिक बैठक का कार्यवृत्त।

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा–प्रथम), मध्यप्रदेश, ग्वालियर की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की जुलाई से सितम्बर 2021 की अवधि की त्रैमासिक बैठक दिनांक 11.11.2021 को सांय 04:00 बजे आरंभ हुई। इस बैठक की अध्यक्षता श्री डी. साहू, प्रधान महालेखाकार महोदय ने की तथा बैठक की कार्यवाही का संचालन श्री एस.के.झांजी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, हिन्दी कक्ष ने किया।

इस अवसर पर संलग्न परिशिष्ट में दर्शाये गये समूह अधिकारीगण, शाखा अधिकारीगण एवं सम्बंधित अधिकारी उपस्थित हुये। बैठक का कार्यवृत्त निम्नानुसार प्रस्तुत है।

1 पिछली तिमाही अप्रैल से जून 2021 की बैठक के कार्यवृत्त का वाचन, उसकी पुष्टि तथा अनुवर्ती कार्यवाही की समीक्षा।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारंभ करते हुये श्री एस.के.झांजी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, हिन्दी कक्ष ने सर्वप्रथम पिछली तिमाही अप्रैल से जून 2021 की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की त्रैमासिक बैठक के कार्यवृत्त का वाचन किया जिसकी सर्व सम्मति से पुष्टि की गई। उसके बाद कार्यालय के विभिन्न अनुभागों द्वारा कार्यवृत्त पर की गई अनुवर्ती कार्यवाही की समीक्षा की गई।

2. वर्तमान तिमाही जुलाई से सितम्बर 2021 के लिये अनुभागों से प्राप्त प्रगति प्रतिवेदनों की समीक्षा ।

जुलाई से सितम्बर 2021 की तिमाही के दौरान कार्यालय के नियंत्रक–अनुभागों एवं प्रशासन समूह के समस्त अनुभागों से प्राप्त हिन्दी–पत्राचार के प्रतिशत एवं राजभाषा कार्यान्वयन के अन्य बिन्दुओं के सम्बंध में अनुभाग संगत समीक्षा की गई, जिसका विवरण निम्नानुसार है–

4. भेजे गए पत्रों की स्थिति हिंदी में किया गया पत्राचार का प्रतिशत–

क.	नियंत्रक अनुभाग का नाम	पूर्व तिमाही का प्रतिशत	वर्तमान तिमाही का प्रतिशत
1	प्रशासन –11	100	96.58
2	प्रशासन –12	97.45	99.29
3	प्रशासन –13	100	100
4	प्रशासन –14	100	100
5	सामान्य अनुभाग	100	100
6	कार्यपालन शाखा	100	100
7	आई.एस. विंग	90	100
8	गोपनीय कक्ष	100	100
9	आंतरिक ले.प	100	100
10	हिन्दी का.कक्ष	100	100
11	फास (विविध)	100	100
12	कल्याण शाखा	100	100
13	रिपोर्ट –1	97.77	91.59
14	रिपोर्ट –2	95.83	96.97
15	रिपोर्ट पी.ए.सी	100	100
16	विधि कक्ष	100	100
17	अनुदान ले.प.	96.61	100
18	केद्रीय समन्वय	100	100
19	ए.एम.जी 1 (मु.)	100	100
20	ए.एम.जी 2(मु.)	96.85	91.93

21	ए.एम.जी 3 (मु.)	100	100
22	ए.एम.जी 4 (मु.)	100	100
23	ए.एम.जी 5 (मु.)	100	100
24	वाणिज्य समन्वयन कक्ष	90.47	75.70

नोटः– प्रशासन–11, 12, रिपोर्ट–1, रिपोर्ट–2, ए.एम.जी. 2 (मु.), तथा वाणिज्य लेखापरीक्षा अधिकाधिक कार्य हिंदी में कर रहे हैं परन्तु निर्धारित लक्ष्य 100 प्रतिशत से कम पर कार्य कर रहे है।

पिछली तिमाही की तुलना में वृद्धि का विवरण–

अनुभाग	पूर्व तिमाही का प्रतिशत	वर्तमान तिमाही का प्रतिशत	प्रतिशत वृद्धि
प्रशासन–12	97.45	99.29	1.84
आई.एस. विंग	90	100	10
रिपोर्ट –2	95.83	96.97	1.14
अनुदान लेखापरीक्षा	96.61	100	3.39

पिछली तिमाही की तुलना में कमी का विवरण–

अनुभाग	पूर्व तिमाही का प्रतिशत	वर्तमान तिमाही का प्रतिशत	प्रतिशत कमी
रिपोर्ट –1	97.77	91.59	6.18
ए.एम.जी 2(मु.)	96.85	91.93	4.92
वाणिज्य समन्वयन कक्ष	90.47	75.70	14.77
प्रशासन –11	100	96.58	3.42

कार्यालय से भेजे गए कुल पत्रों का प्रतिशत–

हिंदी	अंग्रेजी	कुल	प्रतिशत
4548	93	4641	98.00

पूर्व तिमाही का प्रतिशत : 98.20
वर्तमान तिमाही का प्रतिशत : 98.00
इस तिमाही में कमी का प्रतिशत : 0.20

4. राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) का अनुपालन–

इस तिमाही में धारा 3(3) के अंतर्गत निम्न लिखित अनुभागों से कुल 216 कागजात जारी किए गए जो सामान्य अनुदेश प्रकृति के थे। इनमें से कोई भी कागज़ात केवल अंग्रेजी में जारी नहीं किया गया। अतः कार्यालय द्वारा धारा 3(3) का पूर्णतः पालन किया गया ।

5. हिंदी में प्राप्त पत्रों की स्थिति (नियम 5 का अनुपालन)–

इस तिमाही में कुल 5253 पत्र हिंदी में प्राप्त हुए। इनमें से कुल 1949 पत्रों के उत्तर हिंदी मे, 30 पत्रों के उत्तर अंग्रेजी में दिए गए एवं 184 पत्र निराकरण के लिए शेष थे। बाकी बचे पत्र नस्ती किए गए। इस तरह नियम 5 का पूर्णतः पालन नहीं किया गया।

6. फाइलों पर हिंदी में कार्य–

(क). तिमाही के दौरान लिखी गई टिप्पणियों की संख्या – 3631
(ख). हिंदी में लिखी गई टिप्पणियों की संख्या – 3592
(ग). अंग्रेजी में लिखी गई टिप्पणियों की संख्या – 39

अध्यक्ष महोदय का उद्‌बोधनः– अध्यक्ष महोदय ने निम्नलिखित निर्देश दिये ।

1. जिन अनुभागों द्वारा हिन्दी मे निर्धारित लक्ष्य 100 % प्राप्त नहीं किया है वे निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करें ।
2. समूह अधिकारीगण, शाखा अधिकारीगण एवं सम्बंधित अधिकारी व्यक्तिगत रूचि लेकर निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु सार्थक प्रयास करें तथा अपने अधीन कार्यरत कर्मचारियों को भी लक्ष्य प्राप्ति हेतु निर्देशित करें।
3 कार्यालयीन पत्रिका "गोपाद्री" के 26वें अंक को विषय आधारित बनाकर प्रकाशित करने हेतु निर्देशित किया गया।
4. जिन अनुभागों ने हिन्दी में शतप्रतिशत कार्य किया है, वे बधाई के पात्र हैं।

बैठक के अन्त में श्री एस के झांजी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, हिन्दी कक्ष ने सभी उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रति आभार प्रकट किया। अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक की कार्यवाही सम्पन्न घोषित की गई ।

संजीव 30/11/14

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
हिन्दी कार्यान्वयन कक्ष